सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069
फा सं. डी-19016/1/2016-सा.-IV

दिनांक : 09.08.2016
निविदा सं. **सं. लो. से. आ. /06/2016-सा. IV**

निविदा आमंत्रण सूचना

(केवल ई-निविदा तरीकों से)

सेवा में

मैससर्स ....
....
....
....

विषय: तीन वर्षों के लिए सं. लो. से. आ. में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा आमंत्रण सूचना ।

प्रिय महोदय,

सं. लो. से. आ. के सामान्य शाखा में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के संबंध में संविदा में प्रविष्टि हेतु दो बोली प्रणाली पर ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है । संविदा तीन वर्षों की अवधि तक वैध रहेगी और संतोषजनक कार्य रिपोर्ट के आधार पर इसे उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है । आयोग में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख प्रतियां मुद्रित की जानी है । संविदाकर्ता/ वेंडर को आयोग कार्यालय में न्यूनतम सम्मिलित क्षमता वाली 300 प्रति मिनट सहित डिजिटल मुद्रण मशीन स्थापित करना अपेक्षित होगा । तीन वर्षों के लिए निविदा की अनुमानित लागत 31,80,000/-रू. (इकतीस लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) है। इस निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य के संतोषजनक रूप में होने पर संविदाकर्ता / वेंडर को भुगतान तिमाही आधार पर की जाएगी । **मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी ।**

निविदा दस्तावेज़ सं. लो. से. आ. के वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ हेतु) और सी पीपी साइट https : // eprocure.gov.in / eprocure /app से डाउन लोड की जा सकती है जिनकी समय सीमा क्रिटिकल डेट शीट में दी गई है जो निम्नानुसार है :-

निविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. **क्रिटिकल डेट शीट**

प्रकाशित किए जाने की तारीख	10.08.2016
बोली दस्तावेज को डाउन लोड करने / बिक्री शुरू करने की तारीख	12.08.2016
स्पष्टीकरण के शुरू होने की तारीख	12.08.2016
स्पष्टीकरण की समाप्ति की तारीख	15.09.2016
बोली पूर्व बैठक	लागू नही
बोली के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तारीख	12.08.2016
बोली के प्रस्तुतीकरण की समाप्ति की तारीख	16.09.2016 at 3:00 p.m
बोली को खोलने की तारीख	16.09.2016 at 3:30 p.m

बोलियां केवल ऑन लाइन सीपीपी वेब साइट https : // eprocure.gov.in / eprocure /app पर प्रस्तुत की जाएगी ।

निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर https : // eprocure. gov.in / eprocure /app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को अनुदेश में दी गई अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेज़ों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करेगा ।

2. **बोली के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया:**

2.1 निविदा के लिए दो बोली प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा । निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएगी । वेबसाइट पर एकल भाग या फोल्डर में अपलोड की गई बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

2.2 प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेज़ों के विषय वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेज़ों को डाउन लोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा कमित रूप से संख्या दी जानी चाहिए ।

2.3 किसी अन्य की ओर से या फर्म की ओर से निविदा प्रपत्र या संविदा के किसी दस्तावेज़ के प्रपत्रीय भाग पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति समुचित पावर अटार्नी प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी होगे और उनके पक्ष में विधिवत् रूप से निष्पादित होंगे जिसमें यह वर्णित किया जाए कि वह इसके लिए प्राधिकृत है कि मध्यस्थता खंड सहित संविदा से संबंधित सभी मुद्दों जैसा भी मामला हो, के लिए फर्म के किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए बाह्रय है । तकनीकी बोली के साथ उक्त को अपलोड किए जाने की आवश्यकता है ।

2.4 टेलीग्राम / फैक्स / ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

2.5 **तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :-**

(क) सचिव, सं. लो. से. आ., नई दिल्ली- 110069 के पक्ष में देय स्वीकार्य रूप में किसी वाणिज्यिक बैंक से अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / मियादी जमा रसीद / पे आर्डर / बैकर्स चेक के रूप में 1,59,000/- (एक लाख उनसाठ हजार रू मात्र) की जमा धरोहर राशि की स्कैन्ड प्रति शामिल की जानी चाहिए ।

(ख) वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाले सभी दस्तावेज़ों की प्रतियों पर निदेशक / मालिक/ अधिक्रित हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा उस पर मुहर लगी होनी चाहिए ।

(ग) नि. आ. सू. दस्तावेज़ की स्कैन्ड प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक / मालिक / अधिक्रित हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा उस पर मुहर लगी होनी चाहिए ।

(घ) वर्ष 2015-2016 अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-1016 सहित प्रत्येक के विगत तीन वर्षों या 20 लाख रू. के वार्षिक कारोबार के प्रमाण के रूप में फर्म का लाभ और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षा की गई तुलन-पत्रो की स्कैन्ड प्रति ।

(ङ) डी वैट का पंजीकरण प्रमाण पत्र, टिन तथा सेवा कर संख्या की स्कैन्ड प्रति ।

(च) अर्हता पूर्व सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में मुद्रण कार्य (2015-2016 सहित पूर्ववर्ती 3 वर्षों) का अनुभव तथा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने का अपेक्षित सक्षमता / क्षमता से संबंधित दस्तावेज़ों की स्कैन्ड प्रतियां । प्रतियां स्व-अनुप्रमाणित होनी चाहिए।

(छ) पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति ।

(ज) धन और आयकर को न छिपाने के संदर्भ में प्रमाण -पत्र की स्कैन्ड प्रति । कृपया 'अनुबंध-च' का संदर्भ लें ।

(झ) इस निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तें फर्म को स्वीकार्य है की घोषणा की स्कैन्ड प्रति जो निदेशक / मालिक / अधिक्रित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर तथा मुहर लगी होनी चाहिए।

(ञ) वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 के फर्म की आयकर विवरणी की स्कैन्ड प्रतियां ।

(ट) परिवचन जिसमें यह वर्णित हो कि फर्म ने किसी अन्य मंत्रालयों / सरकारी विभागों की तुलना में सं. लो. से. आ. से कम दर को उद्धृत किया है । परिवचन अनुबंध-घ में दी गई निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(ठ) अनुबंध-क में दी गई तकनीकी बोली की स्कैन्ड प्रति ।

(ड) परिवचन सहित फर्म का विवरण जिसमें यह प्रमाणित हो कि फर्म को किसी सरकारी प्रतिष्ठानों/ एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गाया है और न ही फर्म के विरूद्ध भारत में किसी स्थान में या उनके मालिक / साझेदार के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है की स्कैन्ड प्रति (अनुबंध- ग)।

(ढ) वेंडर / संविदाकर्त्ता के पास डिजिटल मुद्रण मशीन का विवरण तथा विनिर्दिष्टताओं से संबंधित दस्तावेज की स्कैन्ड प्रति।

(ण) एन एस आई सी या डी जी एस एण्ड डी आदि, यदि कोई हो के पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन्ड प्रति।

(त) बोली के साथ अन्य संगत दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियां संलग्न की जाए।

(थ) फर्म को वैट/ विक्री कर जहां लागू हो के लिए पंजीकृत होना चाहिए। विक्री कर प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण की प्रमाणित प्रति की स्कैन्ड प्रति अपलोड की जाए। बिक्री कर के लिए यदि छूट प्राप्त है तो बिक्री कर आयुक्त का कार्यालय (दिल्ली सरकार) से जारी प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड की जानी चाहिए।

(द) वेंडर / संविदाकर्ता द्वारा मुद्रण उदेश्य के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रण नमूने के हार्ड प्रतियां तथा 75 जी एस एम का ए-4 तथा एफ एस आकार के पेपर के नमूनों की बोली खोलने की तारीख / समय पर या उससे पहले सं.लो.से.आ. को भेजे जाने चाहिए।

2.6 **वित्तीय बोलीः-**

(क) स्पष्ट तथा पठनीय शर्तो में ए 4 / एफ एस आकार के दर प्रति कापी के आधार पर अपलोड की जानी चाहिए। मूल्य शब्दों तथा अंकों दोने में लिखी जानी चाहिए। प्रोफार्मा के अनुवंध- घ का संदर्भ लें।

(ख) मूल्य में सभी मदों की लागत जैसे पेपर, स्याही, स्टाफ, मशीन, अनुरक्षण, मस्टर रोल, सेट बनाना, अन्य विविध मदें जैसे स्टेपलर, पिन, सुतली आदि शामिल होने चाहिए।

(ग) उद्त मूल्य सूची फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की गई हो और इस पर मुहर लगी होनी चाहिए ।

(घ) मूल्य अनुसूची में वैट / सेवाकर की दर या अन्य कोई टैक्स, यदि कोई हो, को अलग से उद्धत की जानी चाहिए। विचलन की स्थिति में वैट सहित दर तथा वैट / सेवाकर रहित दर, वैट / सेवाकर सहित दरों को पर ही विचार किया जाएगा। संबंधित फर्म से इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

3. **निविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें :-**

3.1 **बोलियों का मुल्यांकन :**

(क) तकनीकी बोली का मूल्यांकन इस कार्यालय के बोली मूल्योकन समिति (बो. मू. स.) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और नमूनों के आधार पर किया जाएगा । तकनीकी बोली की स्वीकार्यता के संबंध में सक्ष्म प्राधिकारी का निर्णय सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

(ख) वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं की अनुवर्ती तारीख में खोली जाएगी जिसकी तकनीकी बोलियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो । वित्तीय बोली के खोलने की तारीख तथा समय की सूचना संबंधित बोलीदाताओं को यथा समय दे दी जाएगी

(ग) एल-1 बोलीदाता का निर्णय एन पी बी (कुल वर्तमान मूल्य) के आधार पर की जाएगी । बट्टे की दर 10 % वार्षिक के रूप में लिया जाएगा । चूकिं बट्टे की दर पूर्व प्रकटित है, एन पी वी की गणना का उदाहरण अनुबंध - ख पर दिए गए वित्तीय बोली के प्रोफार्मा में दिया गया है ।

3.2 **<u>संविदा प्रदान करना:</u>**

संविदा संबंधी कार्य के लिए एल-1 बोलीदाता जिनका निर्णय बोली मूल्यांक समिति या इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3.3 निविदा (ओं) के किसी प्रकार से अपूर्ण होने की स्थिति में इसे बिना कोई कारण बताते हुए अस्वीकृत किया जा सकता है ।

3.4 निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्मों को सलाह दी जाती है कि संविदा की निबंधन एवं शर्तों को पढ़कर पूरी तरह समझ लें । एक बार आयोग द्वारा निविदा को स्वीकार किए जाने उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन तथा उल्लंघन की अनुमति नहीं होगी।

3.5 **<u>जमा धरोहर राशि :</u>**

3.5.1 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली / नई दिल्ली-110069 के पक्ष में देय किसी वाणिज्यिक बैंक से अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पे आर्डर / फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट / के रूप में 1,59,000/- (एक लाख उनसठ हजार रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसे सं. लो. से. आ. में बोली के खुलने की तारीख को या उससे पहले सुर्पुद किया जाना चाहिए। जमा धरोहर राशि के बिना अथवा अन्य किसी रूप में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उन बोलीदाताओं को जो विशेष मदों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय क्रय संगठन डी जी एस एंड डी / राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) के पास पंजीकृत हैं को छोड़कर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । <u>ऐसी बोलीदाताओं को छूट का दावा करने के लिए अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी अपेक्षित है अन्यथा कोई छूट नहीं दी जाएगी और बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।</u>

3.5.2 जमा धरोहर राशि निविदा वैधता अवधि से परे पैंतालीस दिनों के लिए वैध रहेगी । कम वैधता अवधि सहित जमा धरोहर राशि को स्वीकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

3.5.3 यदि बोलीदाता अपनी निविदा की वैधता अवधि के भीतर किसी भी संबंध में अपनी निविदा को वापस लेता है या उसमें संशोधन करता है अथवा निविदा को नुकसान पहुंचाता है या उसकी प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य करता है तो जमा धरोहर राशि को जब्त

कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति को प्रस्तुत करने मे असफल रहते हैं तो उनकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा ।

3.5.4 सभी असफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत जमा धरोहर राशि को संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बिना किसी ब्याज के, चाहे जो कुछ हो, उन्हें लौटा दी जाएगी । सफल बोलीदाता (ओं) को जमा धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर लौटा दी जाएगी।

3.6 <u>**निष्पादन प्रतिभूति:**</u>

3.6.1 सफल बोलीदाताओं को पंजीकरण स्थिति आदि से असंबद्ध रहते हुए संविदा प्रदान करने के समय निष्पादन प्रतिभूति के रूप में कुल निविदा लागत का 10% जो नियत है, जो किसी वाणिज्यक बैंक से स्वीकार्य रूप में अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / मियादी जमा रसीद जो सचिव, सं. लो. से. आ. नई दिल्ली-110069 के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा ।

3.6.2 निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता की सभी संविदात्मक बाह्यताओं के पूरे होने से परे **<u>60 दिनों</u>** की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

3.6.3 निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता को बिना किसी ब्याज के चाहे जो भी हो, सभी संविदात्मक बाह्यताओं के विधिवत निष्पादित एवं पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी।

3.6.4 यदि फर्म संविदा के किसी निबंधन एवं शर्तों को निष्पादित करने में असफल रहती है तो निष्पादित प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी । इसके अलावा इसे काली सूची में भी डाला जा सकता है ।

3.7 <u>भुगतान:</u>

फर्म को भुगतान नि. आ. सू. में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर तिमाही आधार पर किया जाएगा । फर्म को बिल की मासिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

3.8 वेंडर / संविदाकर्ता को यह सुनिष्चित करते हुए मुद्रण की इष्ठतम गुणवतता मुहैया करानी होगी। उक्त का नियमित रूप से निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

3.9 **जोखिम क्रय खंड**

यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद बोली दस्तावेज़ों / नि.आ.सू. की निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और/ अथवा नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर अन्य फर्म द्वारा कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म की बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों और सीमा शुल्क, कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ फर्म से की जाएगी । यदि वैकल्पिक व्यवस्था के जारिए सामग्री / सेवाओं की लागत कम हो तब इस मुद्दे पर कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

3.10 **शास्ति खंड:**

समय समय पर आयोग द्वारा यथा अनुदेशित समय सीमा तथा विशिष्ट अपेक्षाओं (प्रिंट की गुणवत्ता / एक / दोनों तरफ प्रति और पेपर्स का आकार) के अनुसार वेंडर / संविदाकर्ता को फोटो कापियर्स / मुद्रित प्रतियां मुहैया करानी होगी । यदि वेंडर / संविदाकर्ता समय पर आयोग की विनिर्दिष्ताओं तथा अपेक्षानुसार मुद्रित प्रतियों की संख्या को सुर्पुद करने में असफल होते है तक आयोग को यह स्वत्रंता होगी कि स्वयं प्रतियों का इंतजाम करें या इसे बाहर से करवाए । ऐसे परिदृश्य में वेंडर / संविदाकर्ता द्वारा उद्धृत की दर या आयोग द्वारा बाहर से कार्य करवाने के लिए व्यय की गई लागत, जो ज्यादा हो का दोगुणा प्रभारित करेगा । यदि ऐसे उदाहरण एक महीने में पांच बार दोहराई जाती है तो उस महीने के कुल बिल राशि की 5 % की कटौती शास्ति के रूप में कटौती फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता से की जा सकती है । शास्ति आयोग के विवेकानुसार अधिरोपित की जाएगी ।

3.11 **विवाद समाधान:**

पार्टियों के बीच कार्य आदेश / संविदा / नि. आ. सू. के संबंध में या उससे बाहर या इनसे संबंधित या भंग, समप्ति, प्रभाव, वैधता, निर्वचन या कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. के अनुप्रयोग या इनके अंतर्गत आने वाले उनके अधिकार, कर्तव्य या

दायित्वों से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद, अंतर, विरोधावास या दावों ("विवाद") का निपटान पार्टियों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारस्परिक समाधान के तहत किया जाएगा, यदि किसी कारणवश, पार्टियों के बीच ऐसे विवाद का सौहाद्रपूर्ण निपटान के लिए, उक्त को पूर्ण मध्यस्थता के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सचिव या पूर्ण मध्यसथता के रूप में नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजा जाएगा । मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 या उन पर बनाए गए पुन: अधिनियम पर सांविधिक आशोधन लागू होंगे । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

3.12 **<u>क्षति खंड:</u>**

सं. लो. से. आ. की संपत्ति और / या सं. लो. से. आ. के कर्मचारियों की संपत्ति और / या जीवन की किसी प्रकार होने वाली हानि, चोरी या नुकसान, यदि ऐसे हानि या हानि संविदाकर्ता / फर्म / वेंडर के कर्मचारियों के कारण हुई चूक, लापरवाही और / या भूल के लिए संविदाकर्ता / फर्म / वेंडर को इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी ।

3.13 **<u>आयकर :</u>**

आयकर यथा लागू आपूर्तिकर्ता के बिल से स्त्रोत पर वसूलनीय होगी ।
आपके द्वारा उद्धृत की दर यदि अनुमोदित की गई है और आपको इस कार्यालय द्वारा संविदा प्रदान की गई है तो आपको निर्धारित अवधि के भीतर आपके क्षेत्र / वार्ड / जोन के आयकर अधिकारी का प्रमाण पत्र और आयकर निकासी प्रमाण पत्र और पैन सं. भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । संविदा तब तक लागू नहीं होगी जबतक आप उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

3.14 **<u>सर्वर क्षमता:</u>**

किसी कारण से कार्य आदेश / संविदा / नि. आ. सू. के किसी भी प्रावधान को अमान्य, लागू न होना या अवैधनिक माना जाता है तो कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. को पूर्ण रूप से लागू माना जाएगा इसके अलावा अन्यथा इन प्रावधान (नों) को हटाया हुआ माना जाएगा ।

3.15 **<u>परिवर्तन / आशोधन:</u>**

कार्य आदेश / संविदा के संबंध में किसी भी परिवर्तन या आशोधन या इसे हटाना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक दोनो पक्षों द्वारा इसे लिखित में तथा उस पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

3.16 **<u>संविदा की समाप्ति :</u>**

(क) सं. लो. से. आ. किसी अन्य उपाय के रूप में बिना किसी पूर्वाग्रह के, वेंडर / फर्म / संविदाकर्ता बिना किसी समुचित आधार के इस करार के अंतर्गत करार के शर्त (शर्तो) को भंग करने, लापरवाही असावधानी ,अक्षमत, जालसाजी, अनिष्ट, दुरूपयोग या वेंडर / फर्म / संविदाकर्ता या उनके कर्मचारी या एजेंट द्वारा किए गए अन्य प्रकार के कदाचार किए जाने किए जाने की स्थिति में दोबारा अपने दायित्वों के निष्पादन में असफल होने की स्थिति में वेंडर/ फर्म / संविदाकर्ता को लिखित में 6 माह का नोटिस देकर संविदा/ कार्य आदेश को पूर्ण रूप से या उसके भाग को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(ख) समाप्ति नोटिस की अवधि के दौरान वेंडर/ फर्म / संविदाकर्ता द्वारा कोई लंबित या असमाधित प्रचलानात्मक मुद्दे, निष्पादन और कोई अन्य उपाय जारी रहेगी और उक्त की संतुष्टि के पहले संविदा / कार्य आदेश को समाप्त कर दिया जाता है । सं. लो. से. आ. किसी अन्य वेडंर / फर्म/ संविदाकर्ता से बचे हुए शेष कार्य को निष्पादित भी करवा सकता हैं ।

(ग) वेडंर / फर्म/ संविदाकर्ता संविदा कार्य / कार्य आदेश के पूर्ण निष्पादन के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के लाभ जो भी हो का भुगतान या क्षति का दावा नहीं करेगे लेकिन कार्यान्वित न की गई संविदा / कार्य आदेश के पूर्ण निष्पादन के परिणाम स्वरूप जो लाभ उत्पन्न् न हुई हो और न ही सं. लो. से. आ. द्वारा दिए गए कार्य आदेश / संविदा की समाप्ति के कारण से हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति / क्षति का दावा करेंगे । स्वयं एवं वेडंर / फर्म/ संविदाकर्ता के बीच हुए विवाद का कारण जो स्वयं उत्पन्न हुई है के लिए धन एवं बकाये के संबंध में सं. लो. से. आ. द्वारा किसी दावा या ब्याज पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3.17 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली की वैधता अवधियां और उसमें निर्धारति अवधि के बीच के अंतराल में बोली को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । इस अवधि के दौरान बोली को वापस लेने का परिणाम ऐसे

बोलीदाता की जमा धरोहर राशि की जब्ती होगी और संबंधित फर्म को काली सूची में भी डाला जा सकता है ।

3.18 **सूचना की गोपनीयता**:

(क)कार्य आदेश / संविदा की अवधि के दौरान तथा उसके बाद पक्षों के किसी गोपनीय सूचना किसी प्रकटन को प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा कार्य आदेश / संविदा के अंतर्गत और उसके कारण प्राप्त किया जाता है को सख्त गोपनीय एवं विश्वास के साथ अनुरक्षित किया जाएगा और तीसरे पक्ष को प्रकटन पार्टी के पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी सूचना का प्रकटन सक्षम न्यायालय, अधिकरण या अन्य नियमक प्राधिकरण जो वैध क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है, इस स्थिति में एक पार्टी को दूसरे पार्टी को ऐसे प्रकटन की जानकारी लिखित में समुचित रूप से अधिसूचित करना अपेक्षित होगा, के अनुसरण में प्रकट करना अपेक्षित होगा । इस करार के उद्देश्य के लिए “गोपनीय सूचना” का अर्थ है :

(ख) जो आर्थिक मूल्य, वास्तविक या संभाव्यता प्राप्त करने के लिए समुचित रूप से गुप्त है, जो किसी अन्य व्यक्ति को सामान्य रूप से ज्ञात न हो और जो इसके प्रकटन या प्रयोग से आर्थिक मूल्य प्राप्त कर सकता हे, और / या (ii) जो उन परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए उनकी गुणवत्ता या गोपनीयता के अंतर्गत उन प्रयासों के अध्यधीन है जो तर्क संगतता के अध्यधीन है ।

(ग)बशर्ते कार्य आदेश / संविदा की समाप्ति, निरसण या समाप्ति पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित अनुरोध करेगा कि दूसरे पक्ष की संतुष्टि पर सभी गोपनीय सूचना, दस्तावेजो, मैन्युल और अन्य सामग्री जो दूसरे पक्ष को निर्दिष्ट किए गए हैं को लौटा दें या नष्ट कर दें।

3.19 सभी उद्देश्यों के लिए आशय पत्र को निविदा की स्वीकृति और लंबित करार के लिए लंबित औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर पर विचार किया जाएगा बोलीदाता को बोली दस्तावेज़ के सभी निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करना होगा । यदि इस निविदा आमंत्रण पर लागू संविदा की निबंधन एवं शर्ते किसी बोलीदाता को स्वीकार्य नहीं है तो उन्हें इस निविदा के विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें । सं. लो. से. आ. उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ऐसे विचलनों सहित अस्वीकृति पर विचार करने के कारण बताने के लिए बाह्य नहीं है।

3.20 बोली के खुलने की तारीख से निविदा **छः माह** के लिए वैध रहेगी ।

3.21 संघ लोक सेवा आयोग बिना कोई कारण बताए किसी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सबसे कम बोली या किसी विशिष्ट निविदा को स्वयं स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है । इस संबंध में सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

3.22 **<u>काली सूची में डालना:</u>**

यदि फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता अपने दायित्वों के निष्पादन में बार- बार असफल होते है और कार्य आदेश / संविदा के बिना किसी समुचित आधार के या कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. के निबंधन एवं शर्तों को भंग करने में दोषी पाया जाता है, फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता या उनके स्टाफ या एजेन्ट द्वारा लापरवाही असावधानी अक्षमता, कपट, शरारत और दुवियोजन या किसी अन्य प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाते है तो सं. लो. से. आ. समुचित अवधि के लिए फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता को लिखित में नोटिस देकर फर्म/ वेंडर / संविदाकर्ता को काली सूची में डाल सकता हे ।

4. **<u>आउटसेर्सिंग किए जाने वाली निविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें :-</u>**

(क) एक वर्ष में मुद्रित की जाने वाली प्रतियां लगभग 20 लाख है, इसमें बिना किसी नोटिस के अंतर हो सकता है ।

(ख) वर्ष के दौरान निविदा की अनुमानित लागत लगभग 31,80,000/- (इकतीस लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) है । इस नि. आ. सू. में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य के संतुष्टिपूर्ण पूर्ण होने पर भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा । फर्म / वेंडर/ संविदाकर्ता को बिल की मासिक विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

(ग) फर्म को दो / तीन उन्नत डिजिटल मुद्रण मशीन (जैसे रिको, रिजो, डुप्ले या समकक्ष) स्थापित करने होंगे जिसकी न्यूनतम सम्मिलित क्षमता 300 प्रतियां प्रति मिनट हो (कृपया अनुबंध- ड़ में दी गई डिजिटल मुद्रण मशीन की न्यूनतम अपेक्षित विनिर्दिष्टिताओं का संदर्भ ले) । प्रत्येक डिजिटल मशीन में मुद्रित फोटो प्रतियों की संख्या को प्रदर्शित करने की विधि होनी चाहिए । एक रजिस्टर जिसमें प्रत्येक दिन की मशीन की रीडिंग नोट की जानी चाहिए और उसमें अवर सचिव (सा.) द्वारा प्रति हस्ताक्षरितकिए जाने चाहिए ।

(घ) समुचित श्रमिकों की व्यवस्था का उत्त्रदायित्व फर्म का होगा । मुद्रण कक्ष में मुद्रण कार्य के लिए कम से कम 02 स्टाफ संविदाकर्ता / वेंडर द्वारा तैनात किए जाने चाहिए।

(ङ) आयोग चार मशीनों तक को रखने के लिए वैधुत / कार्य क्षेत्र (01 कमरा) मुहैया कराएगा जबकि उपकरण के अनुरक्षण की जिम्म्देारी फर्म की होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये पूर्णत: कार्य करने की स्थिति में है ।

(च) मशीन, स्प्येिर पार्टस, मास्टर रोल, स्याही आदि के सभी अनुरक्षण लागत फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(छ) फर्म द्वारा अच्छी किस्म की ए-4 / एफ एस आकार का 75 जी एस एम जे के पेपर/ टी एन पी एल / बल्लारपुर / स्पेक्ट्रा ब्रांड प्रयोग में लाई जाएगी । सेट बनवाने, उपभेज्य मदें जैसे स्टेपलर, पिन, सुतली आदि की लागत का वहन फर्म द्वारा किया जाएगा । आयोग की इच्छानुसार फर्म पेपर के एक तरफ / दोनो तरफ कापी तैयार करेगा ।

(ज) जैसाकि परीक्षा संबंधी कार्य समयबद्ध प्रकृति का है, मुद्रण के सभी कार्य, सेट बनाने संबंधी कार्य आदि को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना होगा । यदि आवश्यकता हुई तो फर्म को शनिवार / रविवार / अवकाश के दिनों के साथ कार्यालय समय के पहले और बाद में सेवाएं प्रदान करनी होगी ।

(झ) कार्य की भारी मांग की स्थिति में फर्म को मांग पर अतिरिक्त स्टाफ या मशीन मुहैया कराने में समर्थ होना चाहिए ।

(ञ) फर्म को सौंपे गए कार्य आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित दर पर संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से 36 माह की संपूर्ण अवधि के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया करानी होगी जो संविदा की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगी और किसी भी परिस्थिति में संविदा अवधि के दौरान उसमें ज्यादा संशोधन की अनुमति नहीं होगी ।

(ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा फर्म द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं को संतोषपूर्ण मान लिया जाता है तो सं. लो. से. आ. अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर संविदा को उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर बढ़ा सकता है । फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता को संविदा को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(ठ) मुद्रण के एकल आदेश में 1 से 20,000 पृष्ठों के प्रतियों की संख्या में अंतर हो सकता है । प्रयोक्ता शाखा द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के अनुसार यथा आदेशित सामग्री के किसी प्रकार के मुद्रण तथा प्रतियों की किसी भी संख्या संबंधी कार्य को पूर्ण करने के लिए फर्म बाह्य होंगे ।

(ड) किसी भी परिस्थिति में सफल फर्म उप-संविदाकर्ता या संविदा का उप-पट्टा नियुक्त नहीं करेगा । यह पाया जाता है कि संविदाकर्ता ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है तो आयोग द्वारा कोई नोटिस दिए बिना संविदा को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा ।

(ढ) सफल बोलीदाता फर्म को तत्काल संपर्क के लिए फर्म या उनके कार्मिकों के तीन कार्यरत मोबाइल नं. मुहैया कराने होंगे ।

(ण) यदि संविदाकर्ता कार्य भार को संभालने में असफल होते हैं, कार्य में बार- बार देरी करते है और संतोषप्रद सेवाएं प्रदान नहीं करते है या किसी भी प्रकार से संविदा का अपमान करते है तो उनको प्रदान की गई संविदा को बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर निरस्त / समाप्त किया जा सकता है । सं. लो. से. आ. को यह अधिकार होगा कि वह फर्म के जमा धरोहर राशि / निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लें ।

5. किसी भी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए आप किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न के बीच दूरभाष सं. 2331388 पर सामान्य-IV अनुभाग, सं. लो. से. आ. से संपर्क कर सकते हैं ।

(साबिएल किन्डों)
अवर सचिव (सा.- IV)
संघ लोक सेवा आयोग
दूरभाष सं. 23388418

अनुबंध-क

सं. लो. से. आ. में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा

तकनीकी बोली

दिनांक : ....

सेवा में

श्री साबिएल किन्डो
अवर सचिव (सामान्य-IV)
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

सन्दर्भ: दिनांक -------------------------------- का आपका निविदा नोटिस सं.-----------------------

हम, अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त निविदा नोटिस की जांच की है और हम आपके कार्यालय की अपेक्षा को समझने के बाद अब आपकी मांग / आदेश के अनुसार विनिर्दिष्टियों के समनुरूप कार्य की निष्पादित करने का प्रस्ताव करते है :-

क्रम सं.	मुद्रण में प्रयोग की जाने वाली मदें एवं उनकी विनिर्दिष्टताएं / ब्रांड	विनिर्दिष्टताएं / ब्रांड
1.	फोटो प्रति पेपर (ए-4आकार / एफ एस) जे. के. पेपर / टी एन पी एल/ बल्लारपुर / स्पेक्ट्रा ब्रांड या समकक्ष 75 जी एस एम (कम से कम) मिल में पैक किया हुआ	ब्रांड.. पेपर का जी एस एम =......................................जी एस एम
2.	मुद्रण नमूने	ए-4: एफ एस:

2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष मे जमा धरोहर राशि के रूप में ---------------------(बैंक और शाखा का नाम) पर देय----------------------------------- रू. (---------------------------रू.) की राशि का दिनांक -----------------------------------का पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक / मियादी जमा सं. ------------------------------------- एतदद्वारा प्रस्तुत किया जाता है ।

3. हम उपर्युक्त निविदा नोटिस में यथा अपेक्षित हमारी फर्म के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज़ / कागजात भी एतदद्वारा प्रस्तुत करते है ।

4. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम उपर्युक्त निविदा नोटिस के अनुसार अपनी बोली में उल्लिखित किए गए अनुसार मुद्रण सेवाएं प्रदान करने का बचन देते हैं ।

5. हम आगे यह पुष्टि करते है कि यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम निविदा सूचना की शर्तों में स्वीकार्य रूप में अपेक्षित राशि की एक निष्पादन प्रतिभूति आपको प्रदान करेंगे।

6. हम हमारी बोली को निविदा खोलने से छः माह की अवधि की स्वीकृति के लिए वैध रहने पर सहमत हें । तदनुसार हम उपर्युक्त अवधि तक इस बोली से बंधे रहने की भी पुष्टि करते हैं और यह बोली की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार की जा सकती है । हम आगे इस बात की बात की पुष्टि करते है कि उपर्युक्त अवधि के भीतर आपकी लिखित स्वीकृत के साथ पठित यह बोली हमारे बीच बंधकारी संविदा गठित करेगी ।

7. हम आगे यह समझते है कि आप निम्नतम या कोई बोली जो आपकी ऊपर संदर्भित निविदा पूछताछ के विरूद्ध प्राप्त करते है, स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

8. हम उपर्युक्त निविदा जांच के सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हैं ।

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

-- के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

(फर्म की कार्यालय मुहर)

टिप्पणी : (क) फर्म की कार्यालय मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर इस निविदा फार्म / बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर किए जाने है ।

(ख) ओवर राइटिंग, यदि कोई हो, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

अनुबंध-ख

सं. लो. से. आ. में वार्षिक मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा ।

वित्तीय बोली

दिनांक : ....

सेवा में

श्री साबिएल किन्डो
अवर सचिव (सामान्य-IV)
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 69

सन्दर्भ: दिनांक --------------------------------- का आपका निविदा नोटिस सं.-------------------------

हम अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त निविदा नोटिस की जांच की है और निम्नानुसार दरें उद्धृत की है :-

मूल्य अनुसूची

क्रम सं.	वर्ष	मुद्रित की गई प्रति कॉपी की दर (सभी सामग्री सहित) रू. में	निविदा को फ्लोट करने के दिन से यथा लागू कर	सभी करों सहित मुद्रित की गई प्रति कॉपी की दर	सभी करों सहित मुद्रित की गई 20 लाख प्रतियों की कुल लागत
1.	प्रथम वर्ष				
2.	द्वितीय वर्ष				
3.	तृतीय वर्ष				
4.	प्रस्तावित बट्टा यदि कोई हो				
5.	अभ्युक्तियां				

एल-1 वेंडर का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :-

वर्षवार कोट के लिए बट्टे की दर 10% के रूप में लिया जाएगा । अत: एल-1 का निर्णय एन पी वी के आधार पर किया जाएगा । जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी :-

एन वी पी { वर्ष 1+ वर्ष 2 ÷ (1+ 0.1) + वर्ष 3 ÷ $(1+ 0.1)^2$ }

एन पी वी का तात्पर्य कुल वर्तमान मूल्य से है ।

वाई-1 का तात्पर्य प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर

वाई-2 ,, ,, द्यितीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर

वाई-3 ,, ,, तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत की गई दर

उदाहरण के लिए प्रथम वर्ष (वाई-1) के लिए उद्धृत की गई दर 1000/- रू. है, दूसरे वर्ष (वाई-2) के लिए उद्धृत की गई दर 1200/- रू. है और तृतीय वर्ष (वाई-3) के लिए उद्धृत की गई दर 1400/- रू. है तब एन पी वी निम्नानुसार होगी :-

एन वी पी = 1000/- + (1200/- / 1.1) +(1400/- / 1.21)

= 1000 + 1090.91+ 1157.02

= **3247.93**

इस प्रकार, एन पी वी 3247.93 रू. है। एल-1 वेंडर का चयन एन पी वी के आधार पर किया जाएगा । तथापि एल-1 वेंडर को भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष वार दर के आधार पर किया जाएगा ।

2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष मे जमा धरोहर राशि के रूप में ---------------------(बैंक का नाम) पर देय------------------------------------ रू. (-- रू.) की राशि का दिनांक ------------------------------का पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक सं. --की प्रतियां एतदद्वारा प्रस्तुत की जाती है । निविदा जांच दस्तावेज़ के अनुसार अन्य दस्तावेज़ / कागजात भी इसके साथ संलग्न की जाती है ।

3. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम उपर्युक्त निविदा नोटिस के अनुसार अपनी बोली में उल्लिखित किए गए अनुसार मुद्रण सेवाएं प्रदान करने का बचन देते हैं । हम आगे यह पुष्टि करते है कि यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम निविदा सूचना की शर्तों में स्वीकार्य रूप में अपेक्षित राशि की एक निष्पादन प्रतिभूति आपको प्रदान करेंगे।

4. हम हमारी बोली को निविदा खोलने से छ: माह की अवधि की स्वीकृति के लिए वैध रहने पर सहमत हें । तदनुसार हम उपर्युक्त अवधि तक इस बोली से बंधे रहने की भी पुष्टि करते हैं और यह बोली की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार की जा सकती है। हम आगे इस बात की बात की पुष्टि करते है कि उपर्युक्त अवधि के भीतर आपकी लिखित स्वीकृत के साथ पठित यह बोली हमारे बीच बंधकारी संविदा गठित करेगी ।

5. हम आगे यह समझते है कि आप निम्नतम या कोई बोली जो आपकी ऊपर संदर्भित निविदा पूछताछ के विरूद्ध प्राप्त करते है, स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

6. हम उपर्युक्त निविदा जांच के सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हैं ।

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

--- के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

(फर्म की कार्यालय मुहर)

टिप्पणी : (क) फर्म की कार्यालय मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर इस निविदा प्रपत्र / बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर किए जाने हैं ।

(ख) ओवर राइटिंग, यदि कोई हो, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

<u>अनुबंध-ग</u>

<u>सं. लो. से. आ. में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा</u> ।

<u>फर्म का विवरण</u>

<u>(फर्म के लैटर हैड पर)</u>

1. फर्म का नाम : --
----

2. कार्यालय का पता : --
----

3. दूरभाष सं . : ---
----

4. फैक्स सं.:---
---

5. फर्म के निदेशक / साझेदार / मालिक का विवरण :

   (क) नाम :

   (ख) आवासीय पता (पते) :

   (ग) मोबाइल सं. :

6. बिक्री कर पंजीकरण सं. / टी आई एन : ---------------------------------
   ----

   (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए)

7. फर्म / मालिक का स्थायी खाता सं.: -------------------------------------
----

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा न तो काली सूची मे डाला गया है न ही उक्त फर्म अथवा इसके मालिक / साझेदारों के विरूद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है ।

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

--के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

(फर्म की कार्यालय मुहर)

अनुबंध-घ

संं. लो. से. आ. में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा ।

परिवचन

हम..

....
...

(फर्म का नाम तथा पता) दिनांक .... के संघ लोक सेवा आयोग के निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में निम्नानुसार सत्यापित करते है:

“हम लोगो द्वारा मदों के लिए उद्धृत की गई दर उसी प्रकार के कार्य के लिए अन्य मंत्रालयों / सरकारी संगठनों के लिए उद्धृत की गई दरों से अधिक नहीं है” ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड की मोहर सहित फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

अनुबंध-ड़

सं. लो. से. आ. में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा ।

हाई स्पीड डिजिटल प्रिटिंग मशीन के लिए न्यूनतम अपेक्षित विनिर्दिष्टताएं

1. ए3 - ए4 आकार की प्रिंटर कापी
2. बुक / शीट टाइप
3. फुल ऑटोमैटिक स्टेन्सिल प्रिंटिंग
4. डिजिटल स्कैनर
5. प्रिंट इमेज रिजोल्यूसन: 300 X 300 डी पी आई
6. स्कैनिंग क्षेत्र का आकार: 297 मि.मी. X 432 मि.मी.
7. चार रिडक्शन एवं तीन इन्लार्जमेंट रेशियों
8. प्रिंट की गति 130 प्रतियां प्रति मिनट
9. पेपर आपूर्ति क्षमता 1000 शीट्स
10. इमेज प्रोसेसिंग: लाइन एवं फोटो, डी ओ यू, पेन्सिल

<u>सं. लो. से. आ. में मुद्रण कार्य के आउट सोर्सिंग के लिए निविदा</u> ।

<u>आय / धन कर को न छिपाने के संदर्भ में प्रमाण पत्र</u>

हम...
.....

....
.....

(फर्म का नाम तथा पता) दिनांक .... के संघ लोक सेवा आयोग के निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में निम्नानुसार सत्यापित करते है:

“हम / हम लोगों ने आय / धन करजो भी हो को नहीं छिपाया है ” ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड की मोहर सहित फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है ।

सी पी पी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए अत्यधिक उपयोगी जानकारी https : // eprocure.gov.in / eprocure /app से प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण:

(क) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https: // eprocure.gov.in /eprocure /app) सी पी पी पोर्टल पर "ऑन लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट" के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।

(ख) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

(ग) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(घ) इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने -अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी / टी सी एस / एन काड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा ।

(ङ) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

(च) बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से आना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन का पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

<u>निविदा दस्तावेज़ की खोज:</u>

(1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, विभिन्न प्राचलों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन प्राचलों में निविदा आई डी, संग्ठन का नाम अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज प्राचलों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते है ।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्जावेज़ों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ अपेक्षित है । कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन बोली की अस्वीकृति हो सकती है ।

(3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेज़ों श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।

(4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं को मुहैया कराई गई है । ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता “माई एपेस” या “अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़” वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे “माई एपेस” पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है । यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

(1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दे के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर अंकीय हस्ताक्षर करने हैं ।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और अनुदेश के विवरण को प्रविष्ट करना है ।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथ निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजी जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन्ड प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने प्रदान की गई फार्मेट में अपने वित्तीय बोली को आवश्यक रूप से जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड करने और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है इसे खोले और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंगीन (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें । यदि बी ओ क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाए जाते है तो बोली को अस्वीकार कर दी जाएगी ।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के. आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को खोले जाने के सतय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिक के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग

करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रर्मिक कुजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी ऐसे मैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा के खोलने के बाद ही केवल पठनीय होगा ।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।

(9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में “फ्रिज बिक सबमिशन” को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

(10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती की रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

(क) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछ ताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।

(ख) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछ ताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है । बोलीदाता +917878007972 एवं + 91-78780073 से भी मदद ले सकते हैं ।